हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 24 फरवरी, 2010

संख्या का०आ० 42/पं०अ०16/1952/धा० 14/2010.—पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आदेश संख्या का०आ० 6/पं०अ०16/1952/ धा० 14/2009, दिनांक 16 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

आदेश संख्या का०आ० 6/पं०अ०16/1952/ धा० 14/2009, दिनांक 16 जनवरी, 2009 में "अतिरिक्त ब्याज" शब्द जहां कहीं भी विद्यमान हों के स्थान पर, "ब्याज तथा अतिरिक्त ब्याज" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगें।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।